

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-774) अलेसे-1/562-569

दिनांक:- 30/06/25

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 5066 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा श्री सुनील जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं. 5240) कार्यालय, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण एवं उपप्रबन्धक (विपणन), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कोटा की दिनांक 10.02.2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई है। जिसमें श्री जैन की "राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01.03.1996" के स्थान पर "अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 01.03.1996" पढ़ा जावें।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-774) अलेसे-1/562-569

दिनांक:- 30/06/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
3. संभागीय उपभोक्ता संरक्षण एवं उपप्रबन्धक (विपणन), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कोटा
4. कोषाधिकारी, कोटा।
5. श्री सुनील जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण एवं उपप्रबन्धक (विपणन), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कोटा।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. रक्षित पत्रावली।

(कै.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)